संख्या: 3/2023/346/68-2002-003-1-2023
अनुदान संख्या-71

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा,
उर्दू एवं प्राच्य भाषायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2023

विषयः **नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्मय से केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- सा0एवंवै0शि0/13353-61/2022-23 , दिनांक 13.03.2023 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारभिमक शिक्षा-111 समग्र शिक्षा अभियान-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0102-शिक्षकों/शिक्षामित्रों की नियुक्ति (के.60/रा.40-क.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में हो रही बचतों से अनुदान संख्या-71(सामान्य) के लेशाशीर्षक- 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारभिक शिक्षा -105 अनौपचारिक शिक्षा -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)-42-अन्य व्यय में केन्द्रांश रू0 2,17,46,000.00 (रूपय दो करोड सत्रह लाख छियालिस हजार मात्र) के पुनर्विनियोग/वित्तीय स्वीकृति को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(2) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का उपयोग उसी कार्य एवं मद में किया जायेगा जिस कार्य एवं मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(3) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) वित्तीय वर्ष में सदुपयोग न करने पर और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु आप उत्तरदायी होंगे।
(5) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए औचित्य का परीक्षण कर लेगें तथा सुसंगत नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।
(6) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-147, 148, 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होगा।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Search easily on www.bharatyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस संबंध में होने वाले व्यय रू0 2,17,46,000.00 (रूपय दो करोड सत्रह लाख छियालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेशाशीर्षक- 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारभिक शिक्षा -105 अनौपचारिक शिक्षा -01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0101-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा बी.एम.-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आर.ई.संख्या–बजट-1-720 दिनाँक 30.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, (बेसिक), शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/प्रयागराज ।
9- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
11- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Search easily www.bhartiyashasanadesh.org
https://shasanadesh.up.gov.in

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org
http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।